

बीपीएससी और बीटीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम पाँच बार बैठ सकेंगे सरकारी सेवक

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में नरिणय लयिा गया कऱराज्य सरकार के सरकारी सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बहिर लोक सेवा आयोग, बहिर तकनीकी सेवा आयोग और बहिर कऱरमचारी चयन आयोग द्वारा आयोजति प्रतयिोगति परीक्षाओं में अब अधिकतम पाँच बार भाग ले सकेंगे ।

प्रमुख बढिं

- कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचवालय वभाग के अपर मुख्य सचवि डॉ. सदिधार्थ ने प्रेस वार्ता में बताया कऱ सामान्य प्रशासन वभाग के अंतर्गत बहिर सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतयिोगति परीक्षाओं में सम्मलति होने के लयिे अवसरों की सीमा की स्वीकृति दी गई है ।
- कैबिनेट के नरिणय के अनुसार बहिर सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग (बीपीएससी, बीटीएससी, बीएसएससी) द्वारा आयोजति परीक्षाओं में सम्मलति होने के लयिे अलग-अलग अधिकतम कुल 5 (पाँच) अवसर ही अनुमन्य होंगे ।
- नरिधारति 5 अवसरों की गणना संकल्प नरिगत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी । पूर्व में उपभोग कर लयिे गए अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी ।
- बहिर सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतयिोगति परीक्षाओं में भाग लेने के लयिे नयिमति नयिुक्ति हेतु नरिधारति अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमन्य होगी परंतु उक्त आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि में प्रतयिोगति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं कयिा गया हो ।
- गौरतलब है कऱ इससे पहले राज्य के सरकारी सेवकों को अधिकतम तीन बार तक प्रतयिोगति परीक्षा में बैठने का प्रावधान था ।